

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 1/PMC/बैठक/05/2017 - 107

पटना, दिनांक :- 31/1/25

प्रेषक,

ई0 संजय कुमार ओझा,
मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग,
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),
निदेशक, वाल्मी, पटना
संयुक्त निदेशक, FMISC,
जल संसाधन विभाग, पटना।

विषय :- कार्य संवेदकों/ आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के पूर्व जी0एस0टी अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणी की दाखिला कराने के संबंध में।

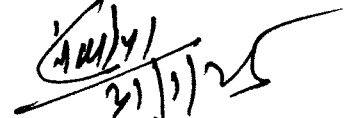
प्रसंग :- वाणिज्य कर विभाग का पत्रांक-बिक्री-कर/विविध-84/2017(खंड-1-307) दिनांक- 21.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि परिक्षेत्राधीन कार्य संवेदकों/ आपूर्तिकर्ताओं को किये जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक पत्र में वर्णित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार ओझा)

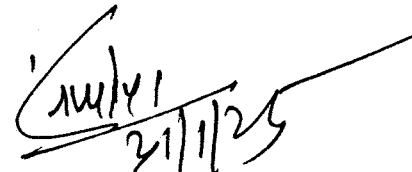
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- 1/PMC/बैठक/05/2017 - 107

पटना, दिनांक- 31/1/25

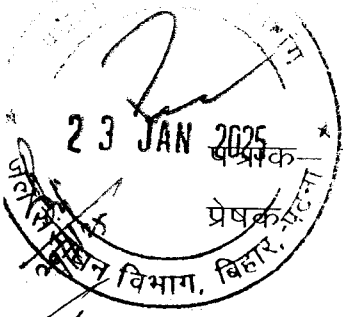
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।


(संजय कुमार ओझा)
मुख्य अभियंता

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

362841
23/01/25



सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

11C(HO)
CE(M.)

विषय :-

कार्य संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के पूर्व जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणी की दाखिला कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक-बिक्री-कर/विविध-84/2017 (खंड)-2492/पटना, दिनांक 07.12.2021 एवं पत्रांक- बिक्री-कर/विविध-84/2017 (खंड)- 2171/पटना, दिनांक 02.08.2022

Mon)

महोदय,

21/01/25

11 SE
Director
DDT

वाणिज्य-कर विभाग के जीएसटी राजस्व-संग्रहण में कार्य संवेदकों द्वारा किये गये कर भुगतान का महत्वपूर्ण योगदान है। चालू वित्तीय वर्ष में भी ऐसे कार्य संवेदकों से राजस्व संग्रहण में ससमय योगदान अपेक्षित है। विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा कार्य निष्पादित किये जाने एवं भुगतान प्राप्त किये जाने के बावजूद कई कार्य संवेदकों द्वारा मासिक जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं की जा रही है।

ध्यातव्य है कि जीएसटी प्रणाली में करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने की स्थिति में ही राज्य को कर प्राप्त होने की व्यवस्था विहित है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा नियमित आधार पर विवरणी दाखिल नहीं किये जाने से राजस्व संग्रहण प्रभावित होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति में तीन माह ही शेष है। फलतः सरकार के राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कार्य संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं से शत प्रतिशत विवरणी दाखिल कराना तथा कर भुगतान सुनिश्चित कराना अत्यन्त आवश्यक है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, बोर्ड, निगम, निकाय, स्थानीय प्राधिकार तथा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय कि उनके द्वारा कार्य संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व जीएसटी के अंतर्गत अद्यतन विवरणियाँ दाखिल करा लिया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय। उल्लेखनीय है कि किसी भी निबंधित व्यवसायी के विवरणी दाखिला की अद्यतन स्थिति gst.gov.in पर देखा जा सकता है।

अधीक्षण अभियंता

योजना एवं मॉनिटरिंग अंक-1
डायरी नं०... 541
दिनांक... 29/1/25

विश्वासभाजन,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

प्रधान सचिव

जल संसाधन विभाग, पटना
मं०सं०प्रे०सं०... 714
दिनांक... 23/01/25

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

डायरी सं०... 606

दिनांक... 29-01-25

मु० अभि० यो० एवं मॉनिटरिंग
जल संसाधन विभाग, पटना